बु. प्र सं श्री

दिनांक	आदेश	अभ्युक्ति
05/03/2020		

अभिलेख उपस्थापित। आवेदक **मनोज लकड़ा, पिता– स्व० एतवा लकड़ा,** मोहल्ला– **मेरी टोला,** थाना– **सदर चाईबासा,** जिला– पश्चिमी सिंहभूम चाईबासा ने मौजा– **चाईबासा पुराना वार्ड नं० 1 नया–2,** थाना नं०– **644** खाता नं०– 14, प्लॉट नं०– 237, **रकवा– 04 डी० 500 वर्गकड़ी एकड़** भूमि क्रेता **श्रीमति मोती कुजूर, पति– श्री दुर्गा कुजूर,** ग्राम– मेरी टोला, थाना– **सदर चाईबासा** के पास में बिक्री के द्वारा हस्तान्तरित करने की मांग की गई है। इस संबंध मे छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46(1) (ए) के अन्तर्गत इस न्यायालय से उपरोक्त प्लॉट की बिक्री हेतु आम सूचना निर्गत किया गया।

अंचल अधिकारी, सदर चाईबासा से जाँच प्रतिवेदन की माँग की गई, जो प्राप्त हुआ। विक्रेता के द्वारा भी इस संबंध में आवश्यक दास्तावेज प्रस्तुत किया गया। दास्तावेज के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि आवेदित भूमि आवेदक के पिता/दादा का नाम हालसर्वे खतियान में दर्ज है। आवेदक का आवेदित भूखंड पर शांतिपूर्ण दखल है।

अंचल अधिकारी, सदर चाईबासा का जाँच प्रतिवेदन पत्रांक–138 दिनांक–14..02.2020 के द्वारा प्राप्त है एवं विक्रेता द्वारा प्रस्तुत आवश्यक दस्तावेजों के अवलोकन से ज्ञात होता है कि घर मरम्मति एवं ईलाज हेतु हेतु रूपये की आवश्यकता होने के कारण भू–खण्ड को क्रेता **श्रीमति मोती कुजूर, पति– श्री दुर्गा कुजूर,** मोहल्ला– मेरी टोला, थाना– **सदर चाईबासा** के पास **4,05,000.00/– (चार लाख पाँच हजार) रूपये** में बिक्री करना चाहते हैं। इस संबंध में किसी को किसी प्रकार का आपत्ति प्राप्त नहीं हुआ है। जाँच प्रतिवेदन से यह स्पष्ट होता है कि कि विक्रेता एवं क्रेता दोनों थाना **सदर चाईबासा** के निवासी है। उक्त दोनों अनुसूचित जन जाति के सदस्य हैं। मुखिया, मेरी टोला चाईबासा का बिक्री करने संबंधी अनुशंसा प्रतिवेदन प्राप्त है जो अभिलेख में संलग्न है।

उपरोक्त प्लॉट की बिक्री के पश्चात् आवेदक के पास शेष 1 एकड 66 डी० 500 वर्गकड़ी भूमि से ज्यादा बचता है। आवेदक के पास भरण पोषण हेतु पैत्रिक भू–सम्पति प्रर्याप्त है।

अतः संबंधित राजस्व कर्मचारी/अंचल निरीक्षक/अंचल अधिकारी, सदर चाईबासा एवं मुखिया, मेरी टोला चाईबासा के अनुशंसा के आलोक में आवेदक **मनोज लकड़ा, पिता– स्व० एतवा लकड़ा,** मोहल्ला– **मेरी टोला,** थाना– **सदर चाईबासा,** क्रेता **श्रीमति मोती कुजूर, पति– श्री दुर्गा कुजूर,** मोहल्ला– मेरी टोला, थाना– **सदर चाईबासा** के पास जमीन को कुल **4,05,000.00/– (चार लाख पाँच हजार) रूपये** में मौजा– **चाईबासा पुराना वार्ड नं० 1 नया–2,** थाना नं०– **644** खाता नं०– 14, प्लॉट नं०– 237, **रकवा– 04 डी० 500 वर्गकड़ी** जमीन बिक्री करने हेतु छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 (1)(ए) के अन्तर्गत बिक्री द्वारा हस्तांतरण करने की अनुमति दी जाती है।

लेखापित

5/3

भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता
सदर चाईबासा।

5/3/2020

भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता
सदर चाईबासा।

Scanned with CamScanner